न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 33/2008 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2008/00077

उनवान

1. रसूल फिसर मुतबन्ना भूरे जाति गद्दी निवासी कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर (मृतक)
   1/1. रसीद पुत्र रसूल
   1/2. बसीर पुत्र रसूल
   1/3. गफ्फार पुत्र रसूल
   1/4. सत्तर पुत्र रसूल
   } जाति गद्दी निवासी कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. सुमेर खॉ पुत्र रमझानी
2. अमीन खॉ पुत्र रमझानी
   } जाति गद्दी निवासी कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।
3. श्रीमती मरियम वेवा रमझानी (मृतक)
4. श्रीमती असरफी पुत्र रमझानी वेवा गुलाब नवी जाति गद्दी निवासी समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।
5. श्रीमती सरूपन पुत्री रमझानी पुत्री रमझानी जाति गद्दी निवासी समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।
6. श्रीमती खातून उर्फ कल्लो पुत्री रमझानी पत्नी जकरू जाति गद्दी निवासी पावटा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राज0)
7. श्रीमती शकूरन पुत्री रमझानी पत्नि अय्यूब जाति गद्दी निवासी पावटा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
8. राजस्थान सरकार

..... असल रेस्पोडेण्ट

9. रहमत उर्फ चक्खन पुत्र फौदा जाति गद्दी निवासी कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी वैर दि0 15.04.2008 प्र.सं. 349/01 रमझानी वगै0 बनाम रसूल आदि।

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील संख्याः– 32/2008 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2008/00080

उनवान

1. रसूल फिसर मुतबन्ना भूरे जाति गद्दी निवासी कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर (मृतक)
   1/1. रसीद पुत्र रसूल
   1/2. बसीर पुत्र रसूल
   1/3. गफ्फार पुत्र रसूल
   1/4. सत्तर पुत्र रसूल
   } जाति गद्दी निवासी कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. सुमेर खॉ पुत्र रमझानी
2. अमीन खॉ पुत्र रमझानी
   } जाति गद्दी निवासी कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।
3. श्रीमती मरियम वेवा रमझानी (मृतक)
4. श्रीमती असरफी पुत्र रमझानी वेवा गुलाब नवी जाति गद्दी निवासी समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।
5. श्रीमती सरूपन पुत्री रमझानी पुत्री रमझानी जाति गद्दी निवासी समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।
6. श्रीमती खातून उर्फ कल्लो पुत्री रमझानी पत्नी जकरू जाति गद्दी निवासी पावटा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राज0)
7. श्रीमती शकूरन पुत्री रमझानी पत्नि अय्यूब जाति गद्दी निवासी पावटा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
8. राजस्थान सरकार

..... असल रेस्पोडेण्ट

9. रहमत उर्फ चक्खन पुत्र फौदा जाति गद्दी निवासी कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी वैर दि0 15.04.2008 प्र.सं. 350/01 रमझानी वगै0 बनाम रसूल आदि।

उपस्थित :–

1. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील अपीलांट।
2. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता वकील रैस्पो0।

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक–28.01.2025

1. यह दोनों अपीले अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2008 के विरूद्ध पेश की गई है। दोनों अपीलो में समान विषय वस्तु, समान आराजी एवं समान पक्षकार होने के कारण एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही हैं। निर्णय की एक–एक प्रति पृथक–पृथक अपील पत्रावलियों में शामिल मिसल की जावें।

2. अपील संख्या 33/2008 के संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम नगला जोधा तहसील वैर व जिला भरतपुर में वादी अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 रिकार्डेड खातेदार हैं एवं विवादित आराजी उनकी संयुक्त खातेदारी की आराजी है। यह आराजी वादी अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 को DISPLACED PERSONS ACT के तहत कस्टोडियन विभाग से क्लेम में अलोट हुयी थी तभी से वादी अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 उक्त आराजी के काबिज काश्तकार व खातेदार हैं। प्रतिवादीगण रैस्पो0 ताकतवर व्यक्ति हैं एवं उनका परिवार बडा है। दिनांक 09.10.1995 को प्रतिवादीगण रैस्पो0 ने धमकी दी की वह विवादित आराजी को उनके लिये विक्रय कर देवें अन्यथा वह विवादित आराजी पर ताकत के बल पर कब्जा कर लेंगें। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2008 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

3. अपील संख्या 32/2008 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अंतर्गत धारा 85, 88, 89 व 188 विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वादीगण रैस्पो0 व प्रतिवादीगण अपीलाण्ट एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। वादी रैस्पो0 रमझानी विवादित आराजी खसरा नम्बर 39 रकवा 2 बीघा 16 विस्वा में से 15 विस्वा तरफ पूर्व पर तथा खसरा नम्बर 48 रकवा 01 बीघा 14 विस्वा सम्पूर्ण पर काबिज हैं एवं वादी रैस्पो0 सामत आराजी खसरा नम्बर 39 में से 15 विस्वा तरफ पश्चिम पर खसरा नम्बर 46 रकवा 01 बीघा 11 विस्वा एवं आराजी खसरा नम्बर 47 रकवा 13 विस्वा वाके ग्राम नगला जोधा तहसील वैर पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण अपीलाण्ट खसरा नम्बर 39 रकवा 01 बीघा 06 विस्वा पर ही काबिज हैं। अन्य किसी खसरा नम्बर नहीं है। खसरा नम्बर 43 गैर मुमकिन चाह में वादीगण रैस्पो0 का अर्द्धभाग में स्वामित्व व आधिपत्य निहित है जो नगल जोधा में आता है एवं कूॅए का विद्युतिकरण हो रहा है व कनैक्शन वादी रैस्पो0 रमझानी व परसादी हिस्सेदार के नाम है। यह है कि प्रतिवादीगण अपीलाण्ट ने संवत 2027 में बिना वादीगण रैस्पो0 की सुनवाई किये राजस्व कर्मचारियों से साज कर उपरोक्त वर्णित आराजीयात का अपने नाम न्यारान्यूर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा लिया, जो खिलाफ मौका एवं रिकार्ड हैं। अतः वाद प्रस्तुत किया जाकर प्रतिवादीगण अपीलाण्ट के नाम आराजीयात से कलमजन कर वादीगण रैस्पो0 को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2008 से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4. दोनों अपीले प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि विवादित आराजी पर इंद्राज रैस्पो0 के नाम हो रहे हैं। रैस्पो0 का दावा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान किये जाने बाबत् था। दावा धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुआ। अपीलांट को विवादित आराजी जरिये सनद से प्राप्त हुयी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कब्जा बिजली के बिल एवं नामांतकरण के आधार पर माना एवं डिक्री पारित कर दी। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं एवं ना ही मौखिक साक्ष्य से ही दावा डिक्री किया जा सकता है एवं ना ही खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। रैस्पो0 के नाम विवादित आराजी पर किसी भी जमाबन्दी में अंकित नहीं रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य, बिजली के बिल व खसरा गिरदावरी के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। अपीलाण्ट का नाम विवादित आराजी पर सनद के आधार पर आये हैं। रैस्पो0 ने सनद की अपील प्रस्तुत की थी, जो खारिज हुयी। द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी, वह भी खारिज हो गयी। अतः सनद वर्तमान तक प्रभावी है। सनद एवं सनद के आधार पर हुये नामान्तकरण को निरस्त कराये बिना रैस्पो0 को विवादित आराजी में कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकते। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति रही हो। ऐसा भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। रैस्पो0 के नामांतकरण का कोई आधार नहीं है एवं अपीलाण्ट के नामान्तकरण का आधार सनद है। अंत में अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2018(2) पेज 1007, 2019(1) पेज 431, आरआरडी 1996 पेज 34, 1996 पेज 273, 1988 पेंज 628, 2000 पेज 95, आरएलडब्ल्यू 2004(3) पेज 430, आरबीजे 2018 पेज 349, 2017 पेज 552, 2011 पेज 387 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, दोनों अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन ओदश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। यह है कि विवादित आराजी इमामबक्श की कब्जे काश्त की आराजी थी। इमामबक्श के कब्जे के आधार पर ही सनद जारी हुयी। इसलिये विवादित आराजी में इमामबक्स के सभी वारिसान का हिस्सा है। इमामबक्स व समपत्तिया का निधन हो चुका है। उस समय रैस्पो0 नाबालिग थे। सनद के विरूद्ध अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज हुयी है ना कि गुणावगुण पर खारिज हुय है। सनद की कार्यवाही भू राजस्व अधिनियम के तहत होती है। उससे हक तय नहीं होते। इमामबक्स के वारिस होने के कारण रैस्पो0 का नामान्तकरण खुला। सनद में भूरा का नाम भी है

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अतः भूरा की सम्पत्ति में भी रैस्पो0 का हिस्सा है। विवादित भूमि कस्टोडियन की भूमि है, जो रैस्पो0 व अपीलाण्ट की पुश्तैनी सम्पत्ति है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अंत में दोनों अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनों वादो को समेकित किया जाकर एक ही निर्णय से निर्णित किया गया है। दोनों वादो एवं जवाब दावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दादरसी सहित 13 तनकीयात कायम की गयी हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

8. तनकी संख्या 01 "आया वादी रसूल वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी का वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 03 के मध्य विभाजन करा पाने का अधिकारी है" इस तनकी को साबित करने का भार वादी अपीलाण्ट पर था" अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी को मौखिक साक्ष्य, बिजली के बिल, खसरा गिरदावरी आदि के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी अपीलाण्ट रसूल के विपक्ष में एवं प्रतिवादी रैस्पो0 रमझानी वगै0 के पक्ष में निर्णित की गयी है। प्रथम तो प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। द्वितीय यह है कि वादी अपीलाण्ट रसूल वगै0 को विवादित आराजी जरिये सनद प्राप्त हुयी हैं। पत्रावली पर उपलब्ध सनद में विवादित आराजी भूरे पुत्र महराव व रहमत उर्फ चक्खन व रसूल पिसरान फौंदा के नाम दर्ज है। उक्त सनद के आधार पर ही विवादित आराजी वादी अपीलाण्ट रसूल वगै0 को प्राप्त हुयी है। सनद एवं सनद के आधार पर हुये नामान्तकरण को रैस्पो0 द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती भी दी गयी हैं। परन्तु सनद एवं सनद के आधार पर हुये अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तकरण आदिनांक तक बहाल है। अतः रैस्पो0 को बिना सनद एवं नामान्तकरण को निरस्त कराये विवादित आराजी में कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं। रैस्पो0 विवादित आराजी को अपने पूर्व पुरूष इमामबक्स की कब्जे काश्त की होना बताते हैं। परन्तु उनके द्वारा इस प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसमें विवादित आराजी इमामबक्स के कब्जे काश्त में दर्ज रही हो एवं ना ही अपीलाण्ट के नाम विवादित आराजी किसी भी जमाबन्दी में दर्ज है। मात्र खसरा गिरदावरी में काश्त दर्ज होने से रैस्पो0 को विवादित आराजी में कोई स्वत्व/खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार रैस्पो0 का पूरा दावा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हैं एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर रैस्पो0 को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। हॉ हम यहॉ यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि सनद में भूरे का भी नाम दर्ज हैं एवं रैस्पो0 भूरे के भाई हैं। भूरे की मृत्यु लाबल्द विला औलाद फौत होना सजरा में अंकित हैं। अपीलाण्ट रसूल स्वयं को भूरे का मुतबन्ना होना कथन करते हुये दावा प्रस्तुत करते हैं। परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अपीलाण्ट रसूल भूरे को गोद गये हों। इस प्रकार भूरे के हिस्से की आराजी में रैस्पो0 का स्वत्व बनता है। परन्तु उनके द्वारा उक्त बिन्दु को अधीनस्थ न्यायालय में नहीं उठाया एवं ना ही काउन्टर क्लेम ही प्रस्तुत किया है। अतः परीक्षण न्यायालय स्तर पर उक्त बिन्दु को अतिरिक्त साक्ष्य से साबित कराना आवश्यक है। अतः तनकी आंशिक तौर पर वहक अपीलाण्ट रसूल वगै0 के पक्ष में निर्णित

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

की जाती है एवं भूरे की हिस्से की आराजी पर रैस्पो0 का स्वत्व है अथवा नहीं बाबत् परीक्षण हेतु प्रकरण हम अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

9. तनकी संख्या 02 " आया वादी प्रतिवादी गण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है" चूंकि तनकी संख्या 01 अपीलाण्ट रसूल वगै0 के पक्ष में पायी गयी है। अतः अपीलाण्ट भूरे की हिस्से की आराजी को छोडकर शेष आराजी पर रैस्पो0 को जरिये हुक्म इम्तनाई से पाबन्द करा पाने के अधिकारी होते हैं।

10. तनकी संख्या 03 " आया चाह पुख्ता खसरा नम्बर 43 में लगे विद्युत कनैक्शन प्रतिवादी संख्या 01 रमझानी के नाम से उक्त चाह पुख्ता में लगी बाटर चैनल से आराजी को सिंचित करते चले आ रहे हैं" किसी भूमि को किसी चाह से सिंचित करने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। तनकी वहक अपीलांट रसूल वगै0 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

11. तनकी संख्या 04" अया विवादित आराजी जवाब दावे की मद संख्या 01 व 02 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के मध्य मौके पर विभाजित है" चूंकि तनकी संख्या 01 में रैस्पो0 के विवादित आराजी में कोई स्वत्व नहीं पाये गये हैं। अतः विवादित आराजी का मौके पर अपीलाण्ट व रैस्पो0 के मध्य विभाजन होने का प्रश्न ही नहीं बनता। वैसे भी मौके पर विवादित भूमि के विभाजन का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तनकी वहक अपीलाण्ट निर्णित की जाती है।

12. तनकी संख्या 5, 6, 7, 8, 9, तनकी संख्या 01 के निर्णय से प्रभावित होती हैं। अतः तनकी संख्या 01 अनुसार ही वहक अपीलाण्ट रसूल वगै0 के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

13. तनकी संख्या 10 "आया जवाब दावे की मद संख्या 11 के अनुसार वर्णित आराजी वादी की कस्टोडियन विभाग से पट्टे द्वारा रसूल व चक्खन को मिली हुयी स्वःअर्जित सम्पत्ति है इसलिये प्रतिवादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है" जैसा कि तनकी संख्या 01 में आ चुका है। अपीलाण्ट रसूल वगै0 को विवादित आराजी पट्टा/सनद से प्राप्त हुयी है। अतः विवादित आराजी रसूल वगै0 की स्वःअर्जित सम्पत्ति मानी जावेगी। अतः सनद के वर्तमान में प्रभावी रहने तक रैस्पो0 का वाद चलने योग्य नहीं है।

14. तनकी संख्या 11, 12 तनकी संख्या 01 लगायत 4 व 10 की विवेचना से प्रभावित होती हैं। अतः उक्त तनकी वहक अपीलाण्ट रसूल वगै0 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

15. दादरसी :– समस्त तनकीयात का निस्तारण किया जा चुका है। रैस्पो0 अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। विवादित आराजी अपीलाण्ट रसूल वगै0 को जरिये सनद/पट्टा से प्राप्त हुयी है। रैस्पो0 के नाम विवादित आराजी पर किसी भी जमाबन्दी में दर्ज नहीं रहे हैं एवं ना रैस्पो0 विवादित आराजी को इमामबक्स की कब्जे काश्त की ही साबित कर पाये हैं। रैस्पो0 का पूरा प्रकरण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री किया है, जो विधि विरूद्ध है। रैस्पो0 भूरे की हिस्से की आराजी पर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम दोनों अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

16. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय दिनांक व डिक्री दिनांक 15.04.2008 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में मृतक भूरे के हिस्से की आराजी में रैस्पो0 का हक बनता है अथवा नहीं बाबत् उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये केवल भूरे की हिस्से की आराजी पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.03.2025 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

17. निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर